सं.13011(5)/3/2022-डीपी-I

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक 21 फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019-कार्यालयों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रालय ने समावेशी समाज के निर्माण के उद्देश्य के साथ ''उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019'' अधिनियमित किया है तथा इसके उपबंध (प्रति संलग्न) 10 जनवरी, 2020 से लागू हुए हैं। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्व-कथित लैंगिक पहचान, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच, रोजगार तथा शिक्षा में भेदभाव न किए जाने का अधिकार तथा अन्य कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करता है।

2. आपको सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 11 यह अधिदेशित करती है कि प्रत्येक कार्यालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए किसी व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए। यद्यपि यह अधिनियम, जनवरी, 2020 की शुरुआत से ही अस्तित्व में आ गया था, परंतु फिर भी यह माना जाता है कि अधिनियम में की गई परिकल्पना के अनुसार ट्रांसजेडर व्यक्तियों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए न तो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकतर कार्यालयों अथवा कारपोरेट सेक्टर में भी शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं।

3. अत: यह अनुरोध किया जाता है कि सरकारी तथा कारपोरेट सेक्टर के सभी कार्यालय इस समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक कार्यालय में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(शांतनु दीक्षित)
सहायक निदेशक (डीपी प्रभाग)
ई-मेल: dixit.shantanu@nic.in

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. प्रधान सचिव, सभी राज्य सरकार/संघ राज्य
3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि देश के कारपोरेट सेक्टर में इसका अनुपालन किया जाए।